www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 18.2.2017

सीबीआई ने श्रीमती सारा सिंह की कथित हत्या के सन्दर्भ में एक आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया

सीबीआई ने एक आरोपी (मृतका के पति) के विरूद्ध अपनी ही पत्नी श्रीमती सारा सिंह की कथित हत्या के सन्दर्भ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए, 302, 201 एवं 120-बी के तहत सीबीआई मामलों के विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत, ग़ाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के निवेदन एवं इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अधिसूचना पर दिनांक 19.10.2015 को मामला दर्ज किया एवं पूर्व मैं, मृतका की माँ की शिकायत पर सिरसागंज पुलिस स्टेशन, जिला फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 302, 498-ए के तहत दिनांक 18.07.2015 को अपराध संख्या 0387/ 2015 में दर्ज मामले की जॉच को अपने हाथों में लिया।

जॉच के दौरान, ऐसा पाया गया कि आरोपी के साथ अपनी शादी के पश्चात, श्रीमती सारा सिंह आरोपी के द्वारा कथित रूप से शारीरिक पताड़ना एवं क्रूरता झेल रही थी। उनकी, आरोपी एवं अन्यों के द्वारा उनसे छुटकारा पाने के उद्देश्य से पूर्व चिन्हित योजना के साथ दिनांक 09.07.2015 को कथित रूप से हत्या कर दी और आरोपी ने झूठी सड़क दुर्घटना की बात गढ़ी एवं उक्त दुर्घटना को ही मृतका सारा सिंह की मृत्यु के कारण के तौर पर पेश किया।

सीबीआई ने आरोपी को दिनांक 25.11.2016 को गिरफ्तार किया एवं वर्तमान में, वह न्यायिक हिरासत में है।। आगे की जॉच जारी है।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्वारा की गयी जॉच व इसके द्वारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधरित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

****